प्र.पी.-301

S-103

कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना–ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक–09 / 15

जिला–रायपुर।
धारा–धारा–109, 120(बी),420 भा.द.वि., 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

यश टुटेजा पिता अनिल टुटेजा, उम्र 26 वर्ष, डॉ. फरिस्ता नर्सिंग होम के पास, कटोरा तालाब, रायपुर छ.ग.

—00—

पूछने पर बताया कि मैं उपरोक्तानुसार व्यक्ति हूँ। पूछने पर बताया कि मेरे पिता श्री अनिल टुटेजा नागरिक आपूर्ति निगम, अवंति विहार रायपुर में प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ थे। गिरीश शर्मा नामक व्यक्ति मेरे पिता जी के आफिस में पी.ए.के पद पर पदस्थ थे।

पूछने पर बताया कि, गिरीश शर्मा अक्सर मेरे पिता के अनेक कार्य करता रहता था इसलिए गिरीश शर्मा का मेरे घर आना–जाना लगा रहता था। इस तहर मेरा उससे परिचय हो गया था। मेरे पिता के नागरिक आपूर्ति निगम में पदस्थापना के पूर्व मैं गिरीश शर्मा को नहीं जानता था। पूछने पर बताया कि मेरे पिता के कहने पर गिरीश शर्मा कई बार लाखों की नगद रकम लेकर मेरे पास पहुंचाता था, जिसे मैं अपने पिता के निर्देश पर वह पैसा घर में रख लेता था। मैं यह नहीं जानता था कि यह नगद रकम किस बात के लिए हैं, चूंकि मेरे पिता ने मुझे रख लेने को कहा गया था, इसलिए रख लिया करता था। प्रायः गिरीश शर्मा रकम देने आने के पहले फोन पर मुझसे बात किया करता था तथा मैं कहां पर हूँ, यह जानकारी लिया करता था। दिनांक 12.02.2015 को मरे पिता ने मुझे फोन करके घर में रखे पैसे हटाने के लिए कहा था, लेकिन क्यों हटाने के लिए कहा था, यह जानकारी मुझे नहीं है। गिरीश शर्मा एवं अनिल टुटेजा से हुई बातचीत की टेप रिकार्डिंग सुनकर पूछने पर बताया कि मैंने टेलीफोन पर अपने पिता एवं गिरीश शर्मा से बातचीत की थी एवं वह आवाज उन्हीं की है।

पूछने पर बताया कि सौरभ नाम का व्यक्ति, मेरी मॉ मिनाक्षी टुटेजा, जिनका कटोरा तालाब में ब्यूटी पार्लर है, का पार्टनर है तथा उसे भी गिरीश शर्मा ने लाखों की रकम मेरे पिता अनिल टुटेजा के कहने पर दिये हैं।

ROAC, before me

24/04/15

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक
ई.ओ.डब्ल्यू. रायपुर, छ.ग.